(8)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /पुनर्विलोकन/2017–ग्वालियर R 25-1335-PBR/17

अजीत कुमार जैन पुत्र बाबूलाल जैन, निवासी– ऊपरी गली, वार्ड नं. 11, भितरवार ग्वालियर व हैसियत मुख्तयारआम राना उर्फ रणजीत सिंह पुत्र गरीब सिंह, जाति जाट सिक्ख ....आवेदक

श्री कुवार सिंह कुशवाह अभि० द्वारा आज दि. 8-5-17 को प्रस्तुत

8-5-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

सोवरन सिंह पुत्र कुंजलाल मिर्धा, निवासी– ग्राम डडूमर तहसील भितरवार जिला ग्वालियर

..............अनावेदक

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व मंडल के प्रकरण क्रमांक 286/2000 अजीत कुमार जैन/सोवरन सिंह आदेश दिनांक 24.01.2017 के आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुती दिनांक 26.04.2017।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1335–पीबीआर/17 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–8–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24–1–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में अभिलेख से परिलक्षित प्रथम दृष्टया आदेश में त्रुटि होना आधारों में तर्क के दौरान नहीं दर्शाया गया है । कोई ऐसी बात अथवा साक्ष्य भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, जो कि मूल आदेश पारित करते समय उनके संज्ञान में नहीं थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	